भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3806

(दिनांक 21.12.2021 को उत्तर देने के लिए)

ओ.टी.टी. संबंधी नई नीति

3806. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ओवर-द-टॉप(ओ.टी.टी.) सेंसरशिप के संबंध में एक नई नीति लाने पर विचार कर रही है जिसके तहत ओ.टी. टी. प्लेटफार्मों को स्व-विनियमन की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में चलचित्र नीति और इसकी सेंसरशिप में आमूलचूल परिवर्तन लाने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत 25 फरवरी, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के भाग-III में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का प्रावधान है-

(i) डिजिटल मीडिया पर समाचारों एवं समसामयिक विषयों के प्रकाशकों और ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफार्मों) के प्रकाशकों द्वारा पालन किए जाने हेतु आचार-संहिता।

(ii) समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र के साथ प्रकाशक (स्तर-I), प्रकाशकों द्वारा गठित स्व-नियमन निकाय (स्तर-II) और सरकार का निगरानी तंत्र (स्तर-III) का तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र।

(iii) प्रकाशकों द्वारा सरकार को सूचना प्रस्तुत करना और शिकायत निवारण के संबंध में सूचना का समय-समय पर सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण।

इन संहिताओं में ओटीटी प्रचालकों से अपेक्षा है कि वे ऐसी किसी भी सामग्री का प्रसारण न करें जो कानून के तहत निषिद्ध है और अनुसूची में दिए गए सामान्य दिशानिर्देशों पर आधारित सामग्री का आयु आधारित स्व-वर्गीकरण करें।

(ग) और (घ): सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का पूर्व-प्रमाणन, चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा किया जाता है। मंत्रालय ने चलचित्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए चलचित्र अधिनियम, 1952 की समीक्षा की है।

****